बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार कार्यक्रम एवं निदेश

विज्ञापन संख्या – 10/2022 के अन्तर्गत सहायक मौलवी (अरबी) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल घोषित उम्मीदवारों के साक्षात्कार का कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समयः 2:30 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
शनिवार 12.08.2023	100066, 100081, 100111	xxxxxx

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र **साक्षात्कार की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व** से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक (Roll No.) डालकर डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे।** आयोग के उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I उपलब्ध रहेगा, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र–I में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

3. **साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपने ऑनलाइन आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की सुस्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार दो सेट (अलग–अलग) में भी लाना अनिवार्य होगा :–**

(i) मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति।

(ii) **जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।** उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सही है।

(iii) विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य योग्यता के अन्तर्गत अंकित डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

(iv) **पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)** प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (NCLC) में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग), जाति एवं क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, का उल्लेख हो।

(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने सम्बन्धी घोषणा पत्र **(विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।**

(vi) **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक–6026, दिनांक–19.04.2022 के आलोक में लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत)** प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

(vii) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)** प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), जाति का उल्लेख हो।

(viii) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण** पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त निवास प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता का उल्लेख हो।

(ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 एवं पत्र संख्या–12123, दिनांक–23.06.2023 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

(x) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

(xi) **बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से विहित प्रपत्र में निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon/ CMO द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करने के स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।**

(xii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा (परिचय पत्र मान्य नहीं होगा)।

(xiii) आयु सीमा में छुट का दावा करने वाले बिहार सरकार के सरकारी सेवक को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

(xiv) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का **अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)**

(xv) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

(xvi) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन फोटोग्राफ।

यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने उक्त परीक्षा हेतु अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 23.12.2020 के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

4. उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति साक्षात्कार के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो इसके लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।
5. यदि साक्षात्कार के दिन आप अपनी योग्यता से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपको साक्षात्कार में शामिल नहीं कराया जायेगा।
6. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

   (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–673, दिनांक–08.03.2011 एवं पत्रांक–704, दिनांक–10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

   आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

   (iii) यदि आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता अथवा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने सम्बन्धी आरक्षण का दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय उपर्युक्त कंडिका 3 ix, x, xi एवं xii में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
7. **साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में अन्तिम निर्णय साक्षात्कार के समय आवेदन में अंकित तथ्यों एवं उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विधिवत् जाँच/सत्यापन के पश्चात् यथासम्भव लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**
8. उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी 02 छायाप्रतियाँ स्वच्छ एवं पठनीय स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
9. सम्बन्धित उम्मीदवार, उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1½ घंटा पूर्व उपस्थित होंगे।
10. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाइल, ब्लूटूथ, वाई–फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर Wrist Watch (सामान्य/Smart) इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
11. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना